भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2905
दिनांक 17.03.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

भारतीय प्रवासी मजदूर

2905. **श्री राजन बाबूराव विचारे**:
श्री एस. वेंकटेशन:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून 2020 से लेकर अब तक विदेशों से लौटे भारतीय प्रवासी मजदूरों की देश–वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान खाड़ी देशों में काम करने के लिए भारत से जाने वाले लोगों की देश–वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने कोविड–19 संकट के दौरान विदेशों में भारतीयों को हुई नौकरी के नुकसान का आकलन किया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसा आकलन करने की कोई योजना है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) से (घ) सभी देशों से भारतीय प्रवासी कामगारों के देश वापस लौटने संबंधी व्यापक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। श्रमिकों की आवाजाही की प्रकृति, विशेष रूप से उन देशों में जो उत्प्रवास जांच अनापेक्षित (ईसीएनआर) श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ऐसी है कि इसकी सटीक ट्रैकिंग बहुत मुश्किल है।

2. जहां तक खाड़ी देशों में काम के लिए जाने वाले भारतीयों का संबंध है, दिनांक 1 जून 2020 से 8 मार्च 2023 की अवधि के लिए ई-माइग्रेट पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़े निम्नानुसार है:

देश	**2020 (01 जून – 31 दिसंबर)**	**2021**	**2022**	**2023 (08 मार्च तक)**
सऊदी अरब	3606	32845	178630	44091
संयुक्त अरब अमीरात	2723	10844	33233	9155
कतर	1917	49579	30871	6232
ओमान	1888	19452	31994	4791
बहरीन	1776	6382	10232	1690
कुवैत	2	10158	71432	9310

3. महामारी के दौरान, यह सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता थी कि रोजगार के नुकसान के मामले में भारतीय श्रमिकों पर इसके प्रभाव को कम किया जाए। इसके लिए, मंत्रालय और खाड़ी स्थित हमारे सभी मिशन श्रमिकों के

रोजगार, उनके कल्याण को सुनिश्चित करने और उनके लिए वित्तीय भुगतान की सुविधा के लिए लगातार खाड़ी देशों की सरकार के साथ संपर्क में थे।

4. विदेश में भारतीय कामगारों के रोजगार को सुविधाजनक बनाने और उनके हितों की रक्षा के लिए, मंत्रालय ने खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों (बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात) की सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) और श्रम जनशक्ति करारों (एलएमए) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अतिरिक्त, जीसीसी देशों में घरेलू कामगारों के विशिष्ट हितों की रक्षा के लिए, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत के साथ घरेलू क्षेत्र के लिए श्रम सहयोग संबंधी करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

*****